

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

ओमप्रकाश बनाम मुरलीधर वगै०

किरम मुकदमा-दावा अधा 88, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर-105/2025


तारीख
हुकम

02.07.2025

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

मध्य व तारीख
अहकाम जो हुकम
हुकम की लागू
में जारी हुके

वादी की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड० ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाये। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जायें। पत्रावली वारते देखने तागिल दिनांक 23.07.2025 को पेश हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)


23.7.25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक-18.8.25 को पेश हो।

29.10.2025

दिनांक 18.08.2025 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी कोई पक्षकारान् व वकील वादी हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये है।

अतः वकील वादी व पक्षकारान की अनुपस्थिती में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दावा दपतर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)